

1.	विभाग	पिछड़ा वर्ग कल्याण
2.	योजना का नाम	ओ लेवल एवं सी०सी०सी० कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना।
3.	योजना संक्षिप्त टिप्पणी	इस योजनात्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम आय सीमा वार्षिक रु0 100000.00 निर्धारित है। आवेदक ने <b>10+2</b> पास किया हो, आवेदक की आयु 18–35 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक किसी संस्था में अध्ययनरत नहीं होना चाहिए।
4.	पात्रता की अर्हता	1—आवेदक की आयु 18–35 होनी चाहिए। 2—वार्षिक आय रु0 100000.00 निर्धारित है। 3—आवेदक पिछड़ी जाति से संबंध रखता हो।
6	आवेदन की प्रक्रिया	आवेदन <a href="http://backwardwelfare.up.nic.in">http://backwardwelfare.up.nic.in</a> की वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है।
7.	लिंक वेबसाइट	<a href="http://backwardwelfare.up.nic.in">http://backwardwelfare.up.nic.in</a>
8.	सम्बन्धित मण्डलीय अधिकारी	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अथवा उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है